कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com
(दूरभाष– 05944–242400 फैक्स–05944–243316)

पत्रांक– 14 /2023–24/ P.B

दिनांक 5-4-23

सार्वजनिक सूचना
नगर निगम,रूद्रपुर पार्किग शुल्क उपविधि

नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा 172(1)(ख) के अंतर्गत नगर निगम रूद्रपुर के सीमान्तर्गत वाहनों को संडक के किनारे खड़े करने पर पार्किंग शुल्क आरोपित करने हेतु नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार पार्किंग/रजिस्ट्रेशन शुल्क दरें निर्धारित की जानी है। अतः नगर निगम रूद्रपुर की अधिसूचना क्षेत्र की परिधि में आने वाली सामान्य जनता या फिर उन व्यक्तियों, जिन पर प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव पड़ने की सम्भावना की जाती है, उन नागरिकों/संस्थाओं से अपना आपत्ति/अनापत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु उपरोक्त सूचना को नगर निगम, रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड कर दैनिक समाचार–पत्र में सूचना प्रकाशित की जाती है समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के दिनाक से अंदर 30 दिवस के नगर आयुक्त, नगर निगम को संबोधित करते हुये, नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0 12 में स्थापित ड्रॅाप बाक्स में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक डाले जा सकते हैं नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नही किया जायेगा।

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर

प्रतिलिपि–

1–सम्पादक **हिन्दुस्तान** एवं **दैनिक जागरण (द्वारा आशियाना एडवरटाइजर्स)** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 06/04/2023 के अंक (5X8) में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एंव उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2–श्री तपन कुमार राय,कनिष्ठ सहा0डा0इ0आ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को नगर निगम,रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधम सिंह नगर

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर

कार्यालय नगर आयुक्त नगर नगम रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

email:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

सार्वजनिक सूचना
नगर निगम,रूद्रपुर पार्किंग शुल्क उपविधि

नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा 172(1)(ख) के अंतर्गत नगर निगम रूद्रपुर के सीमान्तर्गत वाहनों को संडक के किनारे खड़े करने पर पार्किंग शुल्क आरोपित करने हेतु नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार **पार्किंग/रजिस्ट्रेशन** शुल्क दरें निर्धारित कि जानी है। अतः नगर निगम रूद्रपुर की अधिसूचना क्षेत्र की परिधि में आने वाली सामान्य जनता या फिर उन व्यक्तियों, जिन पर प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव पड़ने की सम्भावना की जाती है, उन नागरिकों/संस्थाओं से अपना आपत्ति/अनापत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित की जाती है समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के दिनाकं से अंदर 30 दिवस के नगर आयुक्त,नगर निगम को संबोधित करते हुये, नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0 12 में स्थापित ड्रॉप बाक्स में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक डाले जा सकते हैं नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नही किया जायेगा ।

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(क) यह उपनियम नगर निगम,रूद्रपुर की सीमार्न्तगत वाहनों जो नगर निगम,रूद्रपुर सीमार्न्तगत सड़क किनारे (ऐसे वाहन जो केवल घायलों,एवं बीमारों या मृतकों को निःशुल्क लाने ले जाने के लिये अभिप्रेत हो व ऐसे वाहन जिसके वास्तविक व्यापारी केवल विकय के प्रयोजनार्थ अपने पास रखते हों और जो प्रयोग न होती हों) को छोड़ कर, खड़े करने पर शुल्क उपनियम वर्ष 2022 कहलायेगी ।

(ख) यह उपनियम गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2-परिभाषाएं-

(क) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम,रूद्रपुर व उसकी सीमा से है।

(ख) "नगर आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम,रूद्रपुर के नगर आयुक्त से है।

(ग) "अधिनियम"का तात्पर्य उत्तर प्रदेश,नगर निगम अधिनियम,1959 (उत्तराखण्ड़ राज्य में यथाप्रवृत) से है।

(घ) **"पार्किगं कार्ड"** से तात्पर्य नगर निगम,रूद्रपुर की सीमार्न्तगत वाहनों को सड़क किनारे खड़े करने पर शुल्क भुगतान कर प्राप्त कार्ड से है।

(ड़) **"अनुज्ञा अधिकारी"** से तात्पर्य नगर निगम रूद्रपुर के नगर आयुक्त एंव उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी यथा सहायक नगर आयुक्त/कर अधीक्षक आदि से है।

(च) **वर्ष**-से तात्पर्य इस उपनियम के अंतर्गत पार्किगं कार्ड की अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च के लिये वैध होगी ।

3- नगर निगम रूद्रपुर की सीमा के अतंर्गत सड़क किनारे वाहन पार्क तभी किया जा सकता है जब वह नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप (क) में आवेदन कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर **पार्किगं कार्ड प्रारूप** (ख) प्राप्त करेगा।

4- प्रत्येक व्यक्ति/आम जनमानस जो नगर निगम सीमान्तर्गत निवास करते है उन्हें अपने वाहनों को सड़क पर पार्क किये जाने पर वाहनों का वार्षिक पार्किगं शुल्क नगर निगम, कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा,जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अतिंम तिथि 31 मार्च तक वैध रहेगा।

5- वाहनों को सड़क किनारे पार्क किये जाने हेतु इन उपविधियों के अधीन, नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह तक पार्किगं कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

6- प्रत्येक वाहनों का शुल्क उन वाहन के 1- मॉडल 2-नम्बर प्लेट तथा दुपहिया वाहन (निजी) 3-चार पहिया वाहन (निजी), 4-चार पहिया वाहन (टैक्सी), 5-मैजिक, बड़े वाहन जैसे-बस, ट्रक आदि के आधार पर लिया जायेगा। इसके लिए आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित वार्षिक शुल्क जमा करना होगा।

क्र0 सं0	वाहनों के प्रकार	पार्किंग शुल्क प्रतिवर्ष	पार्किंग शुल्क प्रतिवर्ष	मार्च माह से अप्रैल माह के पश्चात विलम्ब शुल्क प्रतिमाह
01	दुपहिया वाहन	रू0 200		100 प्रतिमाह
02	चौपहिया वाहन निजी	10 लाख तथा 10 लाख से अधिक लक्जरी कार का 0.10 प्रतिशत	10 लाख तक तथा 10 लाख से कम साधारण कार का 0.08 प्रतिशत	500 प्रतिमाह
03	चौपहिया वाहन टैक्सी, मैजिक	800		800 प्रतिमाह
04	बड़े वाहन जैसे– बस, ट्रक आदि	1000		1000 प्रतिमाह

7– वाहन के स्वामी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल अथवा इससे पूर्व ही वार्षिक शुल्क के नवीनीकरण के लिये आवेदन निर्धारित शुल्क सहित प्रेषित करना होगा।विलम्ब से प्रेषित नवीनीकरण प्रार्थना–पत्र पर निर्धारित प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

8– प्रत्येक वाहन के शुल्क भुगतान के पश्चात पार्किंग कार्ड जारी किया जायेगा,जो वाहन स्वामी को अपने गाड़ी में चिपकाना होगा।

दण्ड(शस्ति)

नगर निगम,रूद्रपुर की सीमान्तर्गत खड़े वाहनों का रजिस्ट्रेशन न करने पर एवं इस नियमावली की अवहेलना होने पर वाहन स्वामी दण्ड का भागी होगा, जो 1–रू0 5000.00 तक हो सकता है एवं अवज्ञा जारी रहने की दशा में प्रतिदिन रू0 200 तक का अतिरिक्त दण्ड देय होगा।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम,रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूद्रपुर